

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. E(D&A) 2015 GS1-6

New Delhi, 29.12.2015

The General Manager(P)
All Indian Railways and
Production Units etc.
(As per standard list).

**Sub: Representation from Railway servants on service matters –
reiteration of instructions - regarding**

Attention is invited to Railway Board's letter no. E(D&A) 2010 GS1-1 dated 25.05.2010 whereby copies of Railway Board's earlier instructions and Department of Personnel and Training's office memoranda on the above subject were circulated on the Railways.

2. In this regard, Department of Personnel and Training has issued O.M. No. 11013/08/2013-Estt.(A-III) dated 31.08.2015, reiterating the earlier instructions issued in this regard. Rule 3(1)(iii) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 referred to in para 3 of the O.M. dated 31.08.2015 corresponds to Rule 3(1)(iii) of Railway Services (Conduct) Rules, 1966. The Department of Personnel and Training's O.M. dated 06.06.2013, referred to in para 1 of their above O.M. is available at their website 'persmin.nic.in/DOPT.asp' under 'OMs & Orders' – 'Vigilance' – 'CCS(Conduct) Rules'.

3. It is reiterated that all concerned are required to strictly comply with the aforesaid instructions and violation(s) thereof may entail suitable action.

4. Please acknowledge receipt. Hindi version will follow.

DA: As above



**(S. Modi)
Dy. Director Estt. (D&A)
Railway Board**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डीएंडए) 2015 जीएस1-6

नई दिल्ली, दिनांक: 29.12.2015

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयां आदि

(मानक सूची के अनुसार)

विषय: सेवा मामलों में रेल सेवकों से प्राप्त अभ्यावेदन से संबंधित अनुदेशों को दोहराना।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.05.2010 के पत्र सं. ई(डीएंडए) 2010 जीएस1-1 की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है जिसके तहत रेलवे बोर्ड के पहले के अनुदेशों और उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां रेलों को परिपत्रित की गई थी।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 31.08.2015 को कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/08/2013 स्था.(ए-III) जारी किया है, जिसमें इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए अनुदेशों को दोहराया गया है। दिनांक 31.08.2015 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 में उल्लिखित केन्द्रीय लोक सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 3(1) (iii), रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3(1) (iii) के सदृश है। उनके उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1 में उल्लिखित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 06.06.2013 का कार्यालय ज्ञापन उनकी वेबसाइट 'persmin.nic.in/DOPT.asp' पर 'OMs & Orders' - 'Vigilance' - 'CCS (Conduct) Rules' पर उपलब्ध है।

3. यह पुनः दोहराया जाता है कि सभी संबंधित द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए और इसके उल्लंघन(उल्लंघनों) पर उचित कार्रवाई की जाए।

4. कृपया पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त

शैलेंद्र मोदी

(एस. मोदी)

उप निदेशक स्थापना (अनुशासन एवं अपील)

रेलवे बोर्ड

F. No. 11013/08/2013-Estt.(A-III)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
Establishment A-III Desk

North Block, New Delhi
Dated August 31, 2015

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Representation from Government servant on service matters -
reiteration of instructions - regarding.**


The undersigned is directed to refer to O.M. of even number dated 6th June, 2013 wherein instructions have been issued on submission of representation by Government servants about their service matters. In spite of these instructions, it has been observed that Government servants including officers/ officials of para military forces and Army personnel continue to represent directly to the Prime Minister, Minister, Secretary (P) and other higher authorities, directly.

2. As per the existing instructions, wherever, in any matter connected with his service rights or conditions, a Government servant wishes to press a claim or to seek redressal of a grievance, the proper course for him is to address his immediate official superior, or Head of his office, or such other authority at the appropriate level who is competent to deal with the matter in the organisation.

3. Such submission of representations directly to other authorities by- passing the prescribed channel of communication, has to be viewed seriously and appropriate disciplinary action should be taken against those who violate these instructions. This can rightly be treated as an unbecoming conduct attracting the provisions of Rule 3 (1) (iii) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. It is clarified that this would include all forms of communication including through e-mails or public grievances portal etc.

4. Attention in this connection is also invited to the provision of Rule 20 of CCS (Conduct) Rules, 1964 prohibiting Government servants from bringing outside influence in respect of matter pertaining to his service matter. Representation by relatives of Government servant is also treated as outside influence as clarified vide MHA OM No. F.25/21/63-Estt.(A) dated 19.09.1963

5. It is reiterated that these instructions may be brought to the notice of all Govt. servants including officers/ officials of para military forces and member of armed forces and action taken against those who violate these instructions.


(Mukesh Chaturvedi)
Director (E)
Telefax: 23093176

To

The Secretaries of All Ministries/Departments of Govt. of India
(as per the standard list)

सं. 11013/08/2013-स्था.(ए-III)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 31 अगस्त, 2015

कार्यालय जापन

विषय: सेवा संबंधी मामलों के संबंध में सरकारी कर्मचारियों से अभ्यावेदन- अनुदेशों को दोहराने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 6 जून, 2013 के समसंख्यक का.जा. सं. का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें सरकारी सेवकों द्वारा उनके सेवा संबंधी मामलों के विषय में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों के बावजूद, यह पाया गया है कि अर्द्ध सैन्य बलों और सेना कार्मिकों के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित सरकारी सेवक सीधे प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव (कार्मिक) और अन्य उच्चतर प्राधिकारियों को अभ्यावेदन दे रहे हैं।

2. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, जहां सरकारी सेवक उनके सेवा अधिकारों या शर्तों से जुड़े किसी मामले पर कोई दावा करना चाहता है या किसी शिकायत का समाधान चाहता है तो उसके लिए समुचित प्रक्रिया अपने आसन्न कार्यालय वरिष्ठ या अपने कार्यालयाध्यक्ष या समुचित स्तर के ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो उस संगठन में ऐसे मामले से निपटने में सक्षम को, को संबोधित करना है।

3. अभ्यावेदनों का पत्राचार के निर्धारित माध्यम को नजरदांज कर अन्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना गंभीरता से देखा लिया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हैं। इसे अशोभनीय आचरण माना जा सकता है, जिस पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (iii) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें ई-मेल या लोक शिकायत पोर्टल इत्यादि सहित सभी तरह का पत्राचार शामिल होगा।

4. इस संबंध में सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें उसके सेवा संबंधी मामलों में बाहरी प्रभाव डालने पर रोक है। जैसा कि गृह मंत्रालय के दिनांक 19.09.1963 के का.जा. सं. एफ. 25/21/63-स्था.(क) द्वारा स्पष्ट है, सरकारी सेवक के संबंधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को भी बाहरी प्रभाव माना जाता है।

5. यह बात दोहराई जाती है कि इन अनुदेशों को अर्द्ध सैन्य बलों एवं सशस्त्र बलों के सदस्य सहित सभी सरकारी सेवकों के ध्यान में लाया जाए और इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जाए।



(मुकेश चतुर्वेदी)

निदेशक (स्थापना)

टेलिफैक्स: 23093176

सेवा में:

सभी मंत्रालय/विभाग के सचिव